# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## पंचम

**फरवरी-मार्च, 2021 सत्र**

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

# कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या – 28, 13, 14, 16, 54, 23, 45, 75, 57

मांग संख्या – 39, 26, 31

मांग संख्या – 29, 36, 21, 10

मांग संख्या – 9, 8 35, 58

मांग संख्या – 20 एवं 56 से संबंधित

## भाग - दो

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

| क्र. | मा. मंत्री का नाम | मांग संख्या | विवरण | निर्धारित समय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **श्री रविन्द्र चौबे** | 28 | राज्य विधान मण्डल | **3 घंटे** |
| | | 13 | कृषि | |
| | | 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय | |
| | | 16 | मछलीपालन | |
| | | 54 | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय | |
| | | 23 | जल संसाधन विभाग | |
| | | 45 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य | |
| | | 75 | जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं | |
| | | 57 | जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं | |
| 2. | **श्री अमरजीत भगत** | 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | **2 घंटे 30 मिनट** |
| | | 26 | संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय | |
| | | 31 | योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय | |
| 3. | **श्री मोहम्मद अकबर** | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | **3 घंटे** |
| | | 36 | परिवहन | |
| | | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | |
| | | 10 | वन | |
| 4. | **श्री जयसिंह अग्रवाल** | 9 | राजस्व विभाग से संबंधित व्यय | **2 घंटे 30 मिनट** |
| | | 8 | भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन | |
| | | 35 | पुनर्वास | |
| | | 58 | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | |
| 5. | **श्री गुरू रूद्र कुमार** | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | **2 घंटे 30 मिनट** |
| | | 56 | ग्रामोद्योग | |

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी–मार्च, 2021 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2021–2022 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

**चन्द्र शेखर गंगराड़े**
**प्रमुख सचिव**
**छत्तीसगढ़ विधान सभा**

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – दो में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
8. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य
9. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
10. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
11. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
12. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
13. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
14. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
15. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
16. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य

---

## मांग संख्या– 28

## राज्य विधान मण्डल

**मतदेय राशि** **रूपये 70,49,30,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 47

**श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

संसदीय कार्य विभाग हेतु पर्याप्त मात्रा में राशि प्रदान नहीं की गई है।

# मांग संख्या– 13

# कृषि

**मतदेय राशि** **रूपये 46,04,53,98,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 14

**1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रत्येक विकासखण्ड में बंजर भूमि पर उद्यानिकी पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) रबि फसल के धान को खरीदने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रत्येक ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज के लिये अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) प्रत्येक विकासखण्ड में कोल्ड स्टोरेज खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

**2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) पौधा प्रदाय योजना हेतु राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(2) फुलवारी योजना हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(3) खाद्य और उर्वरक के लिये पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

**3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) किसानों की राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज माफी करने का उल्लेख नहीं है।

(2) कृषि औद्योगिक निगम के गठन करने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में उद्यानिकी नीति बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के प्रत्येक जिले में उद्यानिकी के लिये ब्लॉक टाईप सीडिलिंग यूनिट की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

(5) जैविक कृषि के लिये कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) मण्डी विकास समिति गठन करने का उल्लेख नहीं है।

(7) नकली बीज बेचने वालों पर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।

(8) नकली खाद बेचने वालों पर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।

(9) प्रदेश सब्जी उत्पादक किसानों के द्वारा उत्पादित सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखे जाने हेतु कोल्ड स्टोरेज खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) हर ब्लाक में 100 एकड़ बंजर भूमि की पहचानकर उद्यानिकी की योजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

**4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

मुंगेली विधानसभा के आगर नदी एवं मनियारी नदी से पम्प द्वारा किसानों को सिंचाई का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) किसान पेंशन योजना लागू करने का उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र में कोल्डस्टोरेज खोलने का कोई खोलने नहीं है।

(3) जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र में कृषि से संबंधित उद्योग की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

(4) किसानों को निःशुल्क कृषि उपकरण प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) आत्महत्या से पीड़ित कृषक परिवारों को सहायता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(2) उच्च गुणवत्ता के खाद, बीज तथा दवाईयां सुलभता से प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(3) परम्परागत कृषि को बढ़ावा देने की योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(4) किसानों द्वारा सेठ–साहूकारों से लिये गये ऋण को माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) फसल बीमा से वंचित किसानों को प्रतिपूर्ति दिलाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

(6) उद्यानिकी फसलों के उपार्जन का उल्लेख नहीं है।

(7) मुफ्त कृषि उपकरण प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

शाकम्भरी योजना के लिये पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 14

# पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

**मतदेय राशि** **रूपये 4,73,82,39,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 35

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   - (1) लावारिस मवेशियों के विषय में कोई उल्लेख नहीं है।
   - (2) ग्राम परसदा में पशु औषधालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   - (1) कुक्कुट विकास हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
   - (2) पशु औषधालय एवं चिकित्सालय के लिये राशि का उल्लेख नहीं है।
   - (3) पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
   - (4) मुर्गी पालन विकास की योजना हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।
   - (5) पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
   - (6) पशु और भैंस विकास हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   - (1) लावारिस मवेशियों के लिये कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
   - (2) प्रत्येक जिले में दुग्ध सहकारी समिति के गठन करने का उल्लेख नहीं है।
   - (3) प्रदेश के हर जिले में दुग्ध चिलिंग प्लांट व चिंलिंग दुग्ध वाहन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
   - (4) मोबाईल पशु चिकित्सा ईकाईयों की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
   - (5) चरवाहा समुदाय को रोजगार प्रदान करने की योजना का उल्लेख नहीं है।
   - (6) गोठान योजना असफल रही है, सफल बनाने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   मुंगेली विधान सभा के ग्राम चकरभाठ्ठा एवं पंडरभठ्ठा में नवीन पशु औषधालय खोलने का का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   - (1) भाटापारा में नवीन पशु औषधालय भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
   - (2) प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में पशु चिकित्सालय बनाने का उल्लेख नहीं है।
   - (3) प्रदेश के गौ–शालाओं के विकास हेतु पर्याप्त धन राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
   - (4) उन्नत पशुपालन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने की योजना का उल्लेख नहीं है।
   - (5) पशुधन की तस्करी के प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

**6. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बेलतरा विधान सभा के मटियारी मेंगम में पशु औषधालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

**7. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बलौदाबाजार विधान सभा के तिल्दा–नेवरा शहर एवं ग्रामीण में अनेक गौठान है, किंतु गौमाता की चिकित्सा सुविधा बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 16

# मछलीपालन

**मतदेय राशि** **रूपये 82,38,40,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 36

1. श्री **अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) मछली पालन प्रसार हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

    (2) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु राज्यांश हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

    (3) अन्तर्देशीय मीन उद्योग के लिए राशि का उल्लेख नहीं है।

    (4) जलाशयों में मत्स्य उद्योग के विकास हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) मछली पालकों को हाईटेक प्रशिक्षण देने का उल्लेख नहीं है।

    (2) मछली पालकों को उन्नत बीज व जाल देने का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 54

## कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

**मतदेय राशि** **रूपये 2,55,00,00,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 14

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) बिल्हा विधान सभा में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

    (2) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

    (3) कृषि वैज्ञानिकों को अनुसंधान बढ़ावा दिये जाने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

    (4) बिल्हा विधानसभा के किसानों को नई तकनीकी से प्रशिक्षण प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

    (5) कृषि शिक्षा स्कूलों में बी.एड. प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

    (6) पथरिया में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) केन्द्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय फ्रसलोसीस नियंत्रण कार्यक्रम हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

    (2) कृषि इंजीनियरिंग के लिये कोई राशि का उल्लेख नहीं है।

    (3) कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिये पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

    (4) विस्तार और किसानों को प्रशिक्षण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

    (5) राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

    (6) कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

    (7) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिये पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

    (8) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    कृषि उपकरणों में अनुदान देने का कोई उल्लेख नहीं हैं।

# मांग संख्या– 23
## जल संसाधन विभाग

मतदेय राशि रूपये 11,39,47,58,000

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 31

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) बिल्हा ब्लाक में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने की योजनाओं का कोई प्रावधान नहीं है।

   (2) रामबोड़ जलाशय गहरीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

   (3) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में स्ऑपडेम का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) प्रदेश में नदियों के किनारे के कटाव को रोकने हेतु कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

2. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत जंगलेश्वर के मोखला एनीकट काजवे प्रोटेक्शन कार्य पूर्ण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

   (2) राजनांदगांव जिले के ग्राम नवागांव (मुढ़ीपार) में मुढ़ीपार के टूटे हुए बांध की मरम्मत संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।

   (3) राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत नवागांव में लिफ्ट ऐरिगेशन से सिंचाई का कोई प्रावधान नहीं है।

   (4) राजनांदगांव जिले में मृत प्रायः भानपुरी डायवर्सन योजना को पुनर्जीवित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

   (5) जिला कबीरधाम में कर्रा नाला बैराज के विस्तार एवं जीर्णोद्धार संबंधी चर्चा का कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) वृहद सिंचाई परियोजना के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (2) हसदेव बांगो परियोजना हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

4. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अन्तर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) जल संसाधन नीति का उल्लेख नहीं है।

   (3) सिंचाई के लिए बजट में उचित प्रावधान नहीं है।

   (4) वर्षा जल प्रबंधन की योजना का उल्लेख नहीं है।

   (5) नदियों के कटाव रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र में जल संसाधन संबंधी नवीन कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) सिंचित क्षेत्र को दो गुना करने का कोई प्रावधान नहीं है।

6. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) मुंगेली विधानसभा के ग्राम आमोरा, मोतिमपुर, रौनाकापा, बरदुली में रहन नाले पर एनीकट निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) मुंगेली विधानसभा के मुनियारी नदी पर एनीकट एवं पुलिया निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) मुंगेली विधानसभा के गाड़ाधार के आगर नदी पर एनीकट निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) मुंगेली विधानसभा के ग्राम दशरंगपुर, खम्हरिया, ढ़ोढ़मा, फरहदा में हाथी नाले पर एनीकट एवं पुलिया निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

7. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) छत्तीसगढ़ में वृहद सिंचाई योजना के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) नहरों को पक्का करने हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) नदियों के बहाव से कटने वाले ग्रामों में पीचिंग कराने का उल्लेख नहीं है।

(4) सिंचित क्षेत्र को दो गुना करने का उल्लेख नहीं है।

(5) नवीन जल संसाधन नीति का क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

(6) नवीन जलाशयों/तालाबों के निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

8. **श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

सिंचित क्षेत्र को दो गुना करने की योजना का कोई प्रावधान नहीं है।

9. **श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

विधान सभा क्षेत्र जैजेपुर में ग्राम करनौद में हसदेव नदी में एनीकट निर्माण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

10. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

धमतरी विधान सभा के अन्तर्गत सिंचाई के अन्तर्गत बचे हुए सिंचित क्षेत्र को सिंचित करने का उल्लेख नहीं है।

11. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जांजगीर–चांपा जिले में जर्वे दो मुहनी से कोरबा तक नहर तट पर सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

12. **डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) विकासखण्ड गौरेला की ग्राम पंचायत गौरखेड़ा में सोनकछार बांध निर्माण एवं नहर निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(2) ग्राम पंचायत पीपरखूंटी के खूंटी नाला बांध में नहर निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) ग्राम पंचायत केन्दा में केन्दा डायवर्सन निर्माण एवं नहर निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) ग्राम पंचायत मक्तगांव के औंरापानी बांध पर नहर निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

**13. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बेलतरा विधानसभा के उत्तुम मोहरा एनीकट निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(2) बेलतरा विधानसभा की लंफदी व लच्छनपुर में एनीकट निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(3) अकलतरी जलाशय के नहर रिमांडलिंग व लैपनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।

(4) भेलनाडीह से मस्तुरी तक बाई तट नहर के चेक क्रमांक 0 से 1362 तक सर्विस बैंक का बी.टी. मरम्मत कार्य करने का उल्लेख नहीं है।

(5) खारंग जलाशय के. बी. डेम के नीचे सौन्दर्यीकरण, गार्डन व पार्किंग का निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(6) बेलतरा विधानसभा के एनीकट में बने पहुंच मार्ग के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(7) बेलतरा विधानसभा के असिंचित क्षेत्र बेलतरा, बाम्हू, टेकर, नेवसा, गिधौरी मिल्मी भाड़ी अकलतरी गढ़वर आदि ग्रामों को लिफ्ट सिंचाई करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(8) आहिरन नदी खारंग जलाशय में पाईप लाईन द्वारा पानी लाने हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

**14. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बलौदा बाजार विधानसभा के छोटे–छोटे नालों में चेकडेम बनाने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) बलौदा बाजार विधानसभा तिल्दा वि.ख. के ओटगन बुधवा जलाशय को महानदी परियोजना में शामिल करने का बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

**15. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

नवागढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत मुड़पार (शि.) के नाले पर एनीकट सह पुल निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

# मांग संख्या– 45

# लघु सिंचाई निर्माण कार्य

**मतदेय राशि** **रूपये 4,53,98,36,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 31

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   विधानसभा क्षेत्र बिल्हा में लघु सिंचाई योजना हेतु राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) सतही जल हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय की पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा वि.ख. में सिंघरीपारा बांध गहरीकरण एवं नहर मरम्मत कराने का प्रावधान नहीं है।

   (2) जांजगीर–चांपा जिले में बलौदा बाजार वि.ख. में बंधवा तालाब पर गहरीकरण एवं नहर मरम्मत कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा वि.ख. में ठड़गाबहरा जलाशय गहरीकरण एवं नहर विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा वि.ख. में ग्राम–कोटमी सोनार में बंधवा तालाब नहर मरम्मत एवं गहरीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा वि.ख. मे कर्रा नाला बांध गहरीकरण एवं विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।

   (6) जांजगीर–चांपा जिले अकलतरा वि.ख. में शनिचरा बांध गहरीकरण एवं नहर लाइनिंग का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) बलौदा बाजार विधानसभा के कोहका कोटा नाले का जीर्णोद्धार के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

   (2) बलौदा बाजार विधानसभा के सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

# मांग संख्या– 75

# जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

**मतदेय राशि** **रूपये 6,99,06,00,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 31

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) कोडार परियोजना में पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) अरपा भैंसाझार परियोजना हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   नाबार्ड से सहायता प्राप्त जलाशयों के विकास हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा वि.ख. में सिंचाई परियोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा वि.ख. के बरबसपुर में बांध गहरीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।

# मांग संख्या– 57

## जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

**मतदेय राशि** **रूपये 7,00,00,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 31

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) बोधघाट बहुउद्देशीय वृहद परियोजना हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) लघु तथा वृहद योजनाओं में तीव्रता लाने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) जिला बलौदा बाजार एक भी नाबार्ड से सहायता प्राप्त योजना का संचालन का कोई उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या – 39

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

**मतदेय राशि** **रूपये 23,57,06,93,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 29

1. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) ग्रामीण परिवारों को 4 मुफ्त गैस सिलेण्डर प्रदान किया जाने का उल्लेख नहीं है।
   (2) प्रत्येक परिवार को 1 रूपये की दर पर 35 किलोग्राम चांवल दिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

2. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) उपभोक्ताओं को जागरूक किये जाने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
   (2) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।
   (3) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के कार्यों के लिये पर्याप्त राशि का का उल्लेख नहीं है।
   (4) खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) खाद्य विभाग को प्रावधानित राशि पर्याप्त नहीं है।
   (2) फर्जी राशन कार्डों के सत्यापन कराये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
   (3) प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को समर्थन मूल्य बढ़ाकर देने का उल्लेख नहीं है।
   (4) नवीन राशन कार्ड बनाये जाने में सरकार असफल रही है,राशन कार्ड बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
   (5) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में दुकान सह गोदाम निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
   (6) धान परिवहन कराने में सरकार असफल रही है, परिवहन में सुधार किया जाने का उल्लेख नहीं है।
   (7) राईस मिलर्स को सड़ा हुआ धान उठाने के लिये दबाब बनाया जा रहा है।
   (8) धान के भंडारण और सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधनों का आभाव है, संसाधन बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

4. **डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) जीवनोपयोगी वस्तुओं के बढ़ते हुये मूल्य पर नियंत्रण के उपायों का उल्लेख नहीं है।
   (2) प्रदेश की खाद्य नीति में सुधार किया जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

5. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   प्रदेश में नई राशन दुकानों को खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

**6. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के कोहका धान संग्रहण केन्द्र में खाद्य नीति के अंतर्गत चबूतरा निर्माण के लिए बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 26

# संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

**मतदेय राशि** **रूपये 51,59,93,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –30

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अनुसूचित जाति की कला संस्कृति पर प्रभावी व्यय का बजट में उल्लेख नहीं है।

   (2) ग्राम उमरिया विकासखण्ड तिल्दा, जिला बिलासपुर काली मॉ मंदिर में मंगल भवन निर्माण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

   (3) ग्राम मुंडादेवरी विकासखण्ड पथरिया में आदिवासी सांस्कृतिक मंच में छज्जा युक्त निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) कला संस्कृति भवन संग्रहालय के निर्माण हेतु कोई राशि का प्रावधान नहीं किया गया है।

   (2) छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग हेतु राशि ना के बराबर है।

   (3) प्रदेश में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (4) संस्कृत शिक्षा हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं किया गया है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) छत्तीसगढ़ी फिल्मों को प्रोत्साहित करने का उल्लेख नहीं है।

   (2) लोक कलाकारों हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का प्रावधान नहीं किया गया है।

   (3) प्रदेश के कलाकारों को सम्मान देने में सरकार असफल रही, सम्मान दिलाये जाने का उल्लेख नहीं है।

   (4) संस्कृति और साहित्य के संरक्षण के लिये अभिलेखागार निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

   (5) गांवों में देवमुड़ी निर्माण मरम्मत संधारण कराने जाने का उल्लेख नहीं है।

   (6) पुरातात्विक धरोहर को संरक्षित करने हेतु पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है।

   (7) छत्तीसगढ़ी कलाकारों को मानदेय बढ़ाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

4. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बैरिस्टर छेदीलाल समारोह के लिए पृथक मद बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्राचीन, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण करने का प्रावधान नहीं है।

6. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बलौदाबाजार विधान सभा के लोक कलाकारों के लिए कार्ययोजना बनाने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

## मांग संख्या– 31

## योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 52,70,80,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –23

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

# मांग संख्या– 29

## न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

**मतदेय राशि** **रूपये 4,88,45,96,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –21

1. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   - (1) अधिवक्ता कल्याण हेतु योजनाओं का उल्लेख नहीं है।
   - (2) अधिवक्ताओं के आवास हेतु हाऊसिंग ग्रुप की योजनाओं का उल्लेख नहीं है।
   - (3) होमस्टेट अधिनियम का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   - (1) जिला दण्ड न्यायालय भवन के लिये राशि का उल्लेख नहीं है।
   - (2) न्याय प्रशासन सुदृढ़ीकरण हेतु मशीन और उपकरण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जांजगीर–चांपा जिले में बलौदा बाजार तहसील में नवीन व्यवहार न्यायालय बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 36

# परिवहन

**मतदेय राशि** **रूपये 96,03,05,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 08

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) मोटर व्हीकल से हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

    (2) परिवहन विभाग में हो रही अवैध वसूली को रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

    (3) अंतर्राज्यीय अवैध परिवहन को रोकने का उल्लेख नहीं है।

    (4) बिलासपुर शहर में सुगम यातायात हेतु सिटी बसों की संख्या बढ़ाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

    (5) बस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए यात्री प्रतीक्षालय निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

    (6) बिलासपुर से हाईकोर्ट तक नियमित सिटीबस संचालन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

    (7) बिलासपुर– रायपुर नान स्टॉपेज गाड़ियों द्वारा नियमों की अनदेखी, अवहेलना करने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, कार्यवाही किया जाने का उल्लेख नहीं है।

    (8) यात्री परिवहन हेतु पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रदेश की राजधानी रायपुर लिंक रोड़ में प्रायवेट बसों की अवैध पार्किंग की जा रही है, रोकथाम किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

    (2) परिवहन विभाग द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग शहर आने–जाने वाली मिनी बसों के द्वारा पर्यावरण नियमों का पालन नहीं किया जाने के कारण फेलाये जा रहे प्रदूषण की मॉनिटरिंग, रोकथाम किये जाने का उल्लेख नहीं है।

    (3) प्रदेश के शहरों में सार्वजनिक यातायात के साधनों को बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

    (4) परिवहन विभाग में अवैध वसूली रोकने कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

    (5) प्रदेश के शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में रोजाना कमाने खाने आने वाले श्रमिकों को आवागमन के साधन (शहरी यात्री बस सेवा) उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

    (6) कॉलेज एवं स्कूली छात्र–छात्राओं को मुफ्त परिवहन की सुविधा उपलबध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

    (7) प्रदेश की राजधानी रायपुर में आसपास के क्षेत्रों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए शहरी सार्वजनिक यातायात के साधनों की वृद्धि किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

    (8) प्रदेश की राजधानी रायपुर के प्रमुख चौक–चौराहों में सी सी टी वी कैमरे बंद पड़े हैं, सुधार कर चालू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

    (9) राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

**3. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई योजना और न ही किसी कार्ययोजना में बजट का प्रावधान ही किया गया है।

**4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जिला मुंगेली में सिटी बस संचालन का उल्लेख नहीं है।

**5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) विभाग में व्यापक पैमाने में अवैध वसूली की जा रही है, नियंत्रण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) ट्रांसपोर्ट नगर में दुर्दशा है, सुधार किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) अवैध परिवहन की रोकथाम के उपायों का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश में चल रही ओव्हरलोडिंग वाहनों को रोकने का उल्लेख नहीं है।

(6) भाटापारा में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण किया जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) यातायात सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) परिवहन शुल्क 50 प्रतिशत रियायत पर यात्रा करने की सुविधा का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) हैवी वाहनों में सुरक्षा उपकरणों के लगाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

**6. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था के सुधार किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में कोयला, रेत, मुरूम, गिट्टी की ओव्हरलोडिंग किये जा रहे वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित किया जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में कोयला, रेत, मुरूम, गिट्टी की ओव्हरलोडिंग किये जा रहे वाहनों से परिवहन विभाग द्वारा अवैध वसूली बंद किया जाने का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश में स्कूली छात्र–छात्राओं एवं महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत धमतरी शहर में ट्रांसपोर्ट नगर खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

**7. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बलौदा बाजार विधान सभा के मुख्य मार्ग में बसे गांवों में यात्री प्रतिक्षालय की व्यवस्था किये जाने का बजट में उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या – 21

## आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

**मतदेय राशि** **रूपये 5,46,54,97,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 32

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   नदियों में प्रदूषित पानी जाने से रोकने के उपायों हेतु कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) कोरोना कॉल में प्रदेश की हाऊसिंग बोर्ड द्वारा कॉमन सर्विस चार्ज एवं अन्य प्रभारों जिन पर हाऊसिंग बोर्ड द्वारा कोई भी राशि खर्च नहीं की गई उन प्रभारों से रहवासियों को देय राशि से छूट दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

   (2) औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम हेतु कोई नीति का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश की आवास योजनाओं के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये राशि अत्यधिक कम है।

   (3) सबके लिये आवास योजना में पर्याप्त राशि का आबंटन नहीं किया गया है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) पर्यावरण अनुसंधान हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) वायु, जल, मृदा, पर्यावरण संरक्षण हेतु ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।

   (3) प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) प्रदेश में प्रदूषण से नियंत्रण के समुचित प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

   (5) उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने में असफल हैं रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

   (6) नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में कर्मचारियों की भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।

   (7) शहरी क्षेत्र में अवैध कॉलोनाईजर्स पर अंकुश लगाने संबंधी किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

   (8) नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में नक्शों की स्वीकृति का आधुनिकीकरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा वगैर सुविधा उपलब्ध कराये लिये जा रहे कॉमन सर्विस जार्च को बंद किया जाने का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा में हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी निर्माण का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या – 10

## वन

**मतदेय राशि** **रूपये 17,84,51,23,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 10

**1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) अनुसूचित क्षेत्रों में वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने का बजट में प्रावधान नहीं है।

(2) प्रदेश में वनों की अवैध कटाई हो रही है, राकने के विभाग असफल रहा है।

(3) वन अधिकार पट्टा प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

**2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए किसी नई योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) वन माफिया से मुक्ति की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

(3) जामवंत योजना के संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ाने हेतु किसी कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।

(5) तेंदूपत्ता प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाने का उल्लेख नहीं है।

(6) वन्य जीव अभ्यारण्य को लेकर कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

(7) वनों की अवैध कटाई रोकने हेतु किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(8) एलीफैंट कारीडोर की कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(9) वन्यप्राणियों के अवैध शिकार को रोकने हेतु कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।

**3. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

वानिकी और वन्यजीवन पर पूंजीगत परिव्यय हेतु वन्यजीवन के लिए राशि बहुत कम है, पर्याप्त राशि प्रदान किया जाने का उल्लेख नहीं है।

**4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) हाथी एवं वन्य जीव अभ्यारण्य सुरक्षा का उल्लेख नहीं है।

(2) वृक्षारोपण हेतु स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।

(3) गजराज योजना में पर्याप्त राशि प्रदान किया जाने का उल्लेख नहीं है।

(4) वनों की सुरक्षा हेतु नवीन योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

(5) वनों के विस्तार, क्षेत्रफल में वृद्धि किये जाने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(6) वन अधिकार पट्टा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(7) सिमगा में वन क्षेत्रों के विकास की योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

(8) बारनवापारा को विश्वस्तरीय अभ्यारण्य बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) भाटापारा से बिलासपुर मार्ग में वृक्षारोपण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(10) अवैध वन कटाई और वनोपज की तस्करी पर नियंत्रण के उपायों का उल्लेख नहीं है।

(11) सभी राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) हाथी प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास किये जाने का उल्लेख नहीं है।

**5. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) ग्राम खुड़िया, विकास खण्ड, लोरमी जिला मुंगेली में रायपुर जैसा जंगल सफारी की स्वीकृति किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) अचानकमार अभ्यारण्य (अचानकमार टाईगर रिजर्व) के गांवों के विस्थापित करने हेतु प्रावधान नहीं है।

**6. डॉ. रेणु अजीत जोगी , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

कोटा विधान सभा में वनों की अवैध कटाई रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

**7. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जांजगीर–चांपा जिले में क्रोकोडायल पार्क को पर्यटन स्थल बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर–चांपा जिले में क्रोकोडायल पार्क में मगरमच्छ पकड़ने वालों को मानदेय प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

**8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

वनों की अवैध कटाई को रोकने हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

**9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बेलतरा विधान सभा क्षेत्र के गणेशनगर फदहाखार वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 9

## राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

**मतदेय राशि** **रूपये 21,24,00,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –07

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में भूमिहीन परिवारों को भूमि प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश के कोटवारों एवं ग्राम पटेल को मानदेय वृद्धि करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

   (3) नगर पंचायत बोदरी को नया तहसील बनाने का उल्लेख नहीं है।

   (4) उप तहसील सरगांव को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने का का उल्लेख नहीं है।

   (5) जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण का उल्लेख नहीं है।

   (6) पटवारियों की कमी दूर करने हेतु नई नियुक्ति करने का उल्लेख नहीं है।

   (7) कृषि भूमि का बाजार मूल्य डायवर्टेड भूमि के बाजार मूल्य के बराबर करने हेतु प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

   (8) प्रदेश में राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करने हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री के कार्यालय हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   उप तहसील कुण्डा, जिला – कबीरधाम को पूर्ण तहसील का दर्जा देने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   विभाग में रिक्त अमीन पटवारियों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   पामगढ़ विधानसभा के ग्राम डोंगाकोहरौद में सड़क निर्माण के प्रभावित किसानों को मुआवजा भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 8

# भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन

**मतदेय राशि** **रूपये 11,51,02,71,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –07

1. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) भूमिहीन कब्जाधारी को नियत तिथि में पट्टा देने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश की तहसील कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु किसी विशेष कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(3) भूमि अधिग्रहण को लेकर योग्य नीति का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के तहसील कार्यालयों में पारदर्शी व्यवस्था नहीं होने के कारण अवैध प्लॉटिंग, धोखाधड़ी के मामले को रोकने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

(5) सभी पटवारी हल्कों में विमान केन्द्र की योजना का उल्लेख नहीं है।

(6) राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निपटारे हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

(7) अवैध प्लाटिंग रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(8) गांव–गांव, शहर–शहर में हो रहे अवैध कब्जों को रोकने हेतु नीति का उल्लेख नहीं है।

(9) जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु प्रक्रिया के सरलीकरण का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) राजस्व निरीक्षण प्रशिक्षण शाला के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) भू–राजस्व भवन निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) भू–राजस्व पुस्तिकाओं का आधुनिकीकरण का उल्लेख नहीं है।

(2) राजस्व न्यायालय के कार्य में दलालों की सक्रियता को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

(3) सभी राजस्व न्यायालयों में प्रतीक्षा स्थल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(4) आबादी भूमि के पट्टा वितरण का उल्लेख नहीं है।

(5) भाटापारा में नवीन राजस्व कार्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश के किसानों को भू–राजस्व के माध्यम से उचित सहायता देने का उल्लेख नहीं है।

(7) राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने का उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश के आदिवासियों की भूमि के संरक्षण हेतु ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।

(9) कृषि भूमि के अवैध डायवर्सन रोकने हेतु उपयों का उल्लेख नहीं हैं।

(10) प्रदेश में नये राजस्व न्यायालयों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

(11) औद्योगिक प्रयोजन की भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है ।

(12) भाटापारा को जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।

(13) लम्बे समय से अवैध रूप से काबिज भूमि को वापस लेने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

(14) सभी राजस्व न्यायालयों में सी.सी. टी.वी. कैमरा लगाने का उल्लेख नहीं है।

(15) राजस्व पुस्तिका में दरें बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(16) त्रुटि सुधार की कार्यवाही को सरल करने हेतु उल्लेख नहीं है।

**4. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

राजधानी रायपुर की राजस्व जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या– 35

## पुनर्वास

**मतदेय राशि** **रूपये 2,12,17,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –28

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में मजदूरों का पलायन रोकने हेतु ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।

   (2) भूमिहीन परिवारों को पट्टा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जिला रायपुर के माना स्थायी दायित्व गृह के संचालन हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या– 58

## प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

मतदेय राशि रूपये 11,10,77,99,000

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –07

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   पथरिया तहसील के अंतर्गत पिछले रवि फसल आपदा क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बाढ़ बचाव हेतु अनुदान राशि की पर्याप्त व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   मुंगेली विधानसभा के ग्राम अमोरा, भिलाई, कशरूआडीह, जरहागांव, मोतिमपुर में प्राकृतिक आपदा हेतु राशि आबंटित करने का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या – 20

# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

**मतदेय राशि** **रूपये 8,26,58,34,000**

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 34

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) दगोरी में सामुदायिक जल प्रदाय योजना का कोई प्रावधान नहीं है।
   (2) भू–जल स्तर में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   राजनांदगांव नगर निगम को अमृत मिशन के तहत खरखरा बांध से जल प्रदाय करने के संबंध में चर्चा का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) जल जीवन मिशन के तहत समयबद्ध कार्य पूरा करने की योजना का उल्लेख नहीं है।
   (2) रायपुर शहर की 24X7 पेयजल योजना का कार्य प्रारंभ व समय सीमा में समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।
   (3) सूपेबेड़ा जल प्रदाय योजना प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) अमृत मिशन के लिये पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) रायपुर जल प्रदाय योजना में अनुदान हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) भू–जल संरक्षण कार्य हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (4) शुद्ध पेयजल योजना हेतु पंचायतों को अनुदान के लिए पर्याप्त राशि कराने का उल्लेख नहीं है।
   (5) ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण में पंचायतों को अनुदान के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (6) जल पूर्ति और सफाई हेतु सर्वेक्षण और अनुसंधान के लिए पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।
   (7) ग्रामीण जल प्रदाय योजना हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नही है।

5. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) खुड़िया बांध के पानी को मुंगेली शहर में पाईपलाईन लाने का उल्लेख नहीं है।
   (2) मुंगेली विधानसभा के ग्राम पिथमपुर, विचारपुर, सोनपुरी एवं भैरामुड़ा में खारे पेयजल के निवारण का उल्लेख नहीं है।
   (3) मुंगेली विधानसभा में अमृत मिशन जल मिशन का उल्लेख नहीं है।

**6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) विभाग को प्राप्त बजट में पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
(2) बोर खनन के संबंध में उल्लेख नहीं है।

**7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में नल–जल योजना प्रारंभ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) भू–जल स्तर में वृद्धि करने का प्रावधान नहीं है।

**8. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बैगा जनजाति क्षेत्र में जल संकट का कोई उल्लेख नहीं है।

**9. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–पंचायत कोसा में पेयजल आपूर्ति हेतु पानी टंकी व पाईपलाईन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**10. श्री प्रमोद शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बलौदा बाजार विधानसभा में गर्मी के दिनों में पेयजल पूर्ति के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) बलौदा बाजार विधानसभा के प्रत्येक गांवों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

**11. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत ग्रामों में नवीन पानी टंकी व नल–जल योजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

# मांग संख्या – 56

## ग्रामोद्योग

मतदेय राशि रूपये 1,17,23,87,000

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 48

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) ग्रामोद्योग को उन्नत करने के लिये प्रशिक्षण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
   (2) ग्रामोद्योग को आगे बढ़ाने के लिये कोई कार्य योजना/योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   प्रदेश में बुनकरों एवं शिल्पकार को रोजगार मुहैया कराने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) हस्त शिल्प बुनकर एवं मिट्टी व कांसा धातु के उद्योगो के विकास का उल्लेख नहीं है।
   (2) प्रदेश के शिल्पकारों एवं बुनकरों के लिए किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) हाथकरघा बुनकर वर्करोड हेतु पर्याप्त सहायता राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) रेशम उद्योग हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (4) रेशम कीट पालन उद्योग हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) ग्रामोद्योग विभाग के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (2) खादी के प्रोत्साहन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
   (3) ग्रामोद्योग को बढ़ाने के लिये कोई कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
   (4) लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना का उल्लेख नहीं है।
   (5) मंदी की मार झेल रहे छोटे उद्योगों हेतु कोई प्रावधान नही है।
   (6) हस्तशिल्प, रेशम कीट पालन आदि के प्रशिक्षण का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   जांजगीर–चांपा जिले में कोसा उद्यानों में फेंसिग कार्य का उल्लेख नहीं है।